

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू0रा02017/1973 विरुद्ध आदेश दिनांक  
29-6-15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक अपील  
58/2006-07.

1. शिवनारायण पिता रामचन्द्र मंत्री  
पता 198, उषा नगर, इंदौर (म.प्र.)
2. रूपनारायण पिता श्री रामचन्द्र  
पता 71, उषा नगर, इंदौर (म.प्र.)
3. गोविन्ददास पिता रामचन्द्र  
पता 198, उषा नगर, इंदौर (म.प्र.)
4. मोहनदास पिता रामचन्द्र  
पता 50, उषा नगर, इंदौर (म.प्र.)
5. सुधा पति मोहनदास
6. पता 50, उषा नगर, इंदौर (म.प्र.)

विरुद्ध

भानुप्रताप सिंह पिता अतिबल सिद्धू  
पता 47, तिरूपति कॉलोनी, इंदौर

..... आवेदकगण

..... अनावेदक

-----  
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण  
-----

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक  
अपील 58/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29-6-15 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता,  
1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम केलोद करताल की भूमि सर्वे नंबर 772 एवं सर्वे नं0 773 रकबा क्रमशः रकबा 0.664 एवं 0.235 राजस्व अभिलेख में आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। अनावेदक द्वारा उक्त भूमि पर 10-15 वर्ष का कब्जा बताते हुए खसरे के कॉलम नं0 12 में कब्जा इन्द्राज करने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर एकपक्षीय रूप से आदेश दिनांक 28-7-09 द्वारा अनावेदक का खसरे के कॉलम नं0 12 में कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदक ने संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया और एकपक्षीय कब्जा इन्द्राज के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5-7-01 द्वारा इस आधार पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पक्षकार असंतुष्ट होता है तो पक्षकार नियत समयावधि में अपील अथवा रिवीजन प्रस्तुत कर सकता है तथा उन्होंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को अवधि बाद प्रस्तुत होना मानते हुए निरस्त किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने प्रकरण क्रमांक 05/अपील/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 3-2-03 द्वारा स्वीकार की तथा यह भी निर्देश दिये कि यदि अनावेदक का नाम खसरे में दर्ज किया गया हो तो उसे शुद्ध किया जाकर रिकार्ड पूर्ववत् किया जाये। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 30-9-04 द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण उन्हें विधिनुसार निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 22-3-06 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 35 (3) के तहत आवेदन 9 माह विलंब से प्रस्तुत किया जो स्वीकार योग्य नहीं था। उक्त आधार पर आवेदकगण की अपील निरस्त की। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं

कि अपर आयुक्त न्यायालय का आदेश अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का गुणदोष के आधार पर परीक्षण कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किये थे यदि सुनवाई दिनांक को आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे तब अपर आयुक्त को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करना चाहिए था। यदि वे प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करना चाहते थे तब उन्हें निराकरण के पूर्व आवेदकगण को सुनवाई का सूचना पत्र देना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 35 (3) के आवेदन को विलंब से प्रस्तुत करने के आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की है। इस संबंध में उनके द्वारा 1995 आर0एन0 248 (सुब्बन शाह विरूद्ध मो0 निसार) का न्यायदृष्टांत उद्धरित किया गया। इस न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभिभाषक उपस्थित नहीं है तो पक्षकार को अपील प्रकरण की सुनवाई का नोटिस दिया जाना चाहिए क्योंकि अभिभाषक की त्रुटि के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है और अपील प्रकरण की सुनवाई का ऐसा आदेश अपास्त किया जाकर गुणदोष के आधार पर अपीलार्थीगण को सुना जाकर निर्णय किया जाना चाहिए।

यह तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश बिना अभिलेख बुलाए गलत आधारों पर पारित किया है। उन्होंने अपने आदेश में तहसीलदार द्वारा दिनांक 28-7-99 को पारित आदेश अदम पैरवी में निरस्त करने का उल्लेख किया गया है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश एकपक्षीय रूप से दिनांक 28-7-99 को दिया गया था, जानकारी होने पर उक्त एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदक ने संहिता की धारा 35(3) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है।

यह तर्क दिया गया कि न्याय का यह सिद्धांत है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाना चाहिए, इस प्रकरण में तो यह और भी आवश्यक था क्योंकि आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने का आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया है। जबकि तहसीलदार को कब्जा दर्ज करने का

अधिकार नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 120, 1998 आर0एन0 211, 1994 आर0एन0 411, 2000 आर0एन0 104 एवं 2007 आर0एन0 199 का हवाला दिया गया है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदकगण ग्राम केलोद करताल स्थित भूमि सर्वे नंबर 772 एवं सर्वे नं0 773 रकबा क्रमशः रकबा 0.664 एवं 0.235 के अभिलिखित भूमिस्वामी हैं और तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की भूमि पर अनावेदक का कब्जा खसरे के कॉलम नं0 12 में दर्ज करने का आदेश प्र0क्र0 4/अ6अ/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-7-99 को एकपक्षीय रूप से दिया गया है, जो अवैधानिक है क्योंकि संहिता के प्रावधानों के तहत भू-अभिलेखों में किसी का कब्जा अभिलिखित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। संहिता की धारा 115 एवं 116 अथवा 121 में आवेदन दिए जाने पर तहसीलदार द्वारा कब्जा दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने के कोई अधिकार तहसीलदार को संहिता द्वारा वेष्टित नहीं हैं। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं। न्यायदृष्टांत 2007 आर0एन0 199 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 115, 116 के तहत कब्जे संबंधी नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1994 आर0एन0 411 में यह व्यवस्था दी गई है कि धारा 121 नियम 6 से 11 में तहसीलदार द्वारा कब्जा प्रविष्टि के संबंध में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस प्रकरण में जो तहसीलदार का आदेश है वह प्रारंभ से ही शून्यवत है और शून्यवत आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में 1982 आर0एन0 417 में राजस्व मंडल द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अधिकारिता रहित आदेश में लिमिटेशन एक्ट, 1963 की धारा 5 म्याद बाह्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उक्त आदेश 1954 ए0आई0आर0 एस0सी0 340 पर आधारित है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि आवेदकगण द्वारा जानकारी होने पर संहिता की धारा 35 (3) के तहत (एकपक्षीय रूप से कब्जा दर्ज करने संबंधी आदेश दिनांक 28-7-99 को निरस्त करने हेतु) प्रस्तुत आवेदन को





तहसीलदार द्वारा इस आधार पर कि, उनके द्वारा पारित आदेश से पक्षकार अर्थात आवेदकगण असंतुष्ट हैं तो उन्हें नियत समयावधि में वरिष्ठ न्यायालय में अपील अथवा रिवीजन प्रस्तुत करना चाहिए था तथा आवेदन को अवधि बाह्य होना मानकर निरस्त करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है।

6/ जहां तक अपीलीय न्यायालयों के आदेशों का प्रश्न है उनके द्वारा उक्त वैधानिक स्थिति तथा कब्जा दर्ज करने के संबंध में उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत एवं ऊपर की गई विवेचना के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अवधि बाह्य मानते हुए निरस्त करना अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं। अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि यह प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे सर्वप्रथम आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि पर खसरे के कॉलम नं0 12 में दर्ज अनावेदक के कब्जे की प्रविष्टि को विलोपित करें। तदुपरांत आवेदकगण द्वारा उनके समक्ष संहिता की धारा 35 (3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए मूल प्रकरण क्रमांक 4/अ6अ/97-98 को पुर्नस्थापित कर उसका निराकरण उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर करें।

परिणामतः इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सभी आदेश निरस्त किये जाते हैं तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार को ऊपर पैरा 5 एवं 6 में की गई विवेचना के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,  
ग्वालियर

PBR/R/3221/2017/1973

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आमजनों आदि के हस्ताक्षर
11-04-2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के०के० द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण लिया गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस प्रकरण में दिनांक 4-4-19 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पक्षकारों के शीर्ष में अनावेदक भानुप्रताप सिंह के पिता का नाम <u>अतिबल सिंह</u> के स्थान पर <u>अतिबल सिद्धू</u> टंकित हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस प्रकरण में दिनांक 4-4-19 को पारित आदेश में पक्षकारों के शीर्ष में <u>भानुप्रताप सिंह पिता अतिबल सिद्धू</u> के स्थान पर <u>भानुप्रताप सिंह पिता अतिबल सिंह</u> पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा ।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	

अध्यक्ष